

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1162
उत्तर देने की तारीख : 30.07.2024

एनएफएससी और एनएफओबीसी के तहत आवंटन

1162. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) वर्ष 2019 से 2023 तक अनुसूचित जाति के छात्रों के राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी) के अंतर्गत दी गई अध्येतावृत्ति का श्रेणी-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ख) वर्ष 2019 से 2023 तक अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफओबीसी) का श्रेणी-वार और राज्य-वार आवंटन कितना है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क) और (ख): अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएससी) और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफओबीसी) केंद्रीय क्षेत्र की स्कीमें हैं अतः इन दोनों स्कीमों के अंतर्गत राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, वर्ष 2019 से 2023 तक एनएफएससी और एनएफओबीसी के अंतर्गत दी गई अध्येतावृत्तियों की संख्या और राशि, श्रेणी-वार और राज्य-वार क्रमशः अनुबंध-I तथा अनुबंध-II में दी गई हैं।

“एनएफएससी और एनएफओबीसी के तहत आवंटन” के संबंध में दिनांक 30.07.2024 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1162 में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध-I

वर्ष 2019 से 2023 तक अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थी और व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
		मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	33	45	3.14	25	30	2.43	25	31	2.63	16	26	0.82	8	12	0.13
2.	आंध्र प्रदेश	247	198	20.04	196	136	12.26	159	76	6.59	87	34	3.87	102	45	5.32
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0	0	0.00	1	0	0.04	1	0	0.03	0	0	0
4.	असम	33	26	2.29	32	14	1.45	36	14	1.76	41	18	2.20	48	22	3.49
5.	बिहार	96	55	5.17	50	28	1.98	52	19	3.04	56	21	2.56	79	14	4.39
6.	चंडीगढ़	3	7	0.38	5	7	0.32	8	4	0.41	11	3	0.47	14	2	0.8
7.	छत्तीसगढ़	14	12	0.80	10	7	0.41	19	5	0.96	30	8	1.34	32	11	2.26
8.	दिल्ली	45	36	3.21	72	31	3.87	127	37	6.59	163	54	8.52	193	57	13.18
9.	गोवा	1	0	0.03	1	0	0.06	2	0	0.08	1	0	0.01	0	0	0
10.	गुजरात	41	34	3.03	33	22	1.74	34	15	1.95	37	9	1.80	43	10	2.69
11.	हरियाणा	65	66	4.44	63	44	3.37	114	50	5.61	146	71	8.86	185	73	13.29
12.	हिमाचल प्रदेश	34	24	1.85	43	20	1.73	86	19	3.70	108	29	5.36	118	39	7.18
13.	जम्मू और कश्मीर	22	15	1.40	27	9	1.22	38	18	2.12	42	24	2.45	42	31	3.68
14.	झारखंड	28	4	0.93	23	3	0.78	28	6	1.14	23	6	1.23	26	5	1.62
15.	कर्नाटक	263	158	17.78	216	106	11.86	194	55	8.54	162	37	6.85	173	40	9.9
16.	केरल	60	51	4.24	52	41	2.91	57	35	3.07	77	26	4.23	100	25	6.46
17.	मध्य प्रदेश	120	84	7.70	76	47	4.09	73	46	4.26	72	32	3.23	85	33	5.25
18.	महाराष्ट्र	269	108	18.22	224	75	10.12	174	59	5.63	98	42	5.10	103	44	7.93
19.	मणिपुर	6	12	0.81	10	9	0.34	11	8	0.69	12	8	0.67	20	12	1.44
20.	मेघालय	0	2	0.05	0	1	0.04	0	1	0.04	0	1	0.03	0	1	0.0001355

21.	मिजोरम	1	1	0.12	1	0	0.01	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
22.	नागालैंड	1	0	0.07	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0
23.	ओडिशा	100	51	6.14	81	42	4.17	82	26	3.60	79	28	3.36	80	26	4.28
24.	पुडुचेरी	3	2	0.22	3	1	0.11	2	1	0.13	2	2	0.14	3	1	0.22
25.	पंजाब	175	62	9.21	184	44	7.13	203	25	7.52	202	35	9.13	211	32	10.76
26.	राजस्थान	148	77	9.14	122	48	4.78	96	33	4.94	122	33	6.01	140	36	7.75
27.	सिक्किम	1	1	0.10	2	0	0.02	2	0	0.10	3	1	0.20	3	1	0.19
28.	तमिलनाडु	53	52	4.10	51	39	3.55	69	40	4.53	65	35	3.41	81	25	5.24
29.	तेलंगाना	176	86	12.96	173	75	9.40	153	54	5.98	105	40	5.41	122	44	6.73
30.	त्रिपुरा	8	8	0.60	4	5	0.27	6	3	0.19	5	2	0.24	4	2	0.23
31.	उत्तर प्रदेश	628	509	46.01	521	319	27.89	450	210	22.90	459	154	22.42	584	149	36.76
32.	उत्तराखण्ड	20	19	1.51	37	12	1.28	41	9	1.92	46	19	2.53	64	24	4.21
33.	पश्चिम बंगाल	290	183	18.43	293	116	13.53	359	106	17.28	431	108	21.63	558	129	34.16
34.	कुल योग	2,984	1,988	204.12	2,630	1,331	133.12	2,701	1,005	127.94	2,702	906	134.11	3,221	945	199.5401355

नोट

1. अध्येतावृत्ति की अवधि 05 वर्ष तक होती है, इसलिए अध्येताओं की संख्या वर्षों में दोहराई जाती है। हालाँकि, कई भुगतानों के बावजूद एक अध्येता पर प्रति वर्ष केवल एक बार ही विचार किया जाता है।
2. अध्येताओं द्वारा वापस की गई अध्येतावृत्ति के संबंध में अध्येताओं की गिनती को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

1
W
1

“एनएफएससी और एनएफओबीसी के तहत आवंटन” के संबंध में दिनांक 30.07.2024 को लोक सभा में उत्तर के लिए नियत अतारांकित प्रश्न सं. 1162 में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध -II

वर्ष 2019 से 2023 तक अन्य पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थी और व्यय

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23			2023-24		
		मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि	मानविकी और सामाजिक विज्ञान	विज्ञान	संवितरित कुल राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.03
2	आंध्र प्रदेश	33	20	2.80	36	18	1.94	34	18	2.23	30	15	1.59	32	16	1.93
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0	0	0.00	1	1	0.06	1	2	0.10	1	2	0.12
4	असम	37	50	4.25	55	27	2.93	39	27	2.86	51	27	2.63	64	27	2.97
5	बिहार	23	29	2.68	34	30	2.40	48	30	3.64	63	34	3.48	94	42	5.81
6	चंडीगढ़	1	1	0.11	3	1	0.23	2	1	0.03	1	0	0.03	2	0	0.11
7	छत्तीसगढ़	9	7	0.68	11	8	0.65	17	8	1.21	14	6	0.61	16	5	0.90
8	दमन और दीव	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	0	1	0.02
9	दिल्ली	37	16	2.28	30	14	1.04	36	14	2.01	47	22	2.54	90	29	5.66
10	गोवा	2	11	0.78	3	8	0.41	2	8	0.48	2	7	0.25	2	5	0.31
11	गुजरात	26	30	2.34	31	24	2.20	24	24	1.89	21	14	1.22	20	14	1.15
12	हरियाणा	13	17	1.51	11	24	1.27	29	24	2.22	41	37	2.43	58	47	5.15
13	हिमाचल प्रदेश	2	3	0.26	0	4	0.17	2	4	0.29	3	5	0.23	6	7	0.47
14	जम्मू और कश्मीर	6	8	0.70	12	6	0.49	12	6	0.81	12	8	0.67	16	10	1.13
15	झारखंड	16	17	1.58	20	11	0.99	23	11	1.61	28	14	1.54	30	10	1.63
16	कर्नाटक	31	26	2.78	21	21	1.53	23	21	1.84	17	19	1.21	26	16	1.90
17	केरल	11	18	1.50	23	22	1.38	56	22	3.60	89	31	4.02	121	45	7.93
18	मध्य प्रदेश	31	24	2.11	24	26	2.25	27	26	2.17	26	22	1.67	46	15	2.61
19	महाराष्ट्र	58	52	5.56	62	27	2.99	45	27	2.71	38	18	1.78	33	18	2.21
20	मणिपुर	3	2	0.20	5	4	0.30	18	4	0.87	25	6	1.06	32	9	1.84
21	ओडिशा	18	12	1.34	21	26	1.68	32	26	2.77	42	28	2.21	44	27	3.12
22	पुद्दुचेरी	4	13	0.68	4	4	0.32	3	4	0.28	3	7	0.31	3	8	0.53
23	पंजाब	11	11	1.10	12	10	0.76	13	10	0.97	17	8	0.74	21	8	1.30
24	राजस्थान	34	37	3.57	38	38	2.63	47	38	3.54	59	37	2.99	75	36	4.83
25	सिक्किम	9	6	0.55	6	4	0.33	2	4	0.29	2	4	0.22	3	5	0.23
26	तमिलनाडु	21	21	1.67	25	24	1.89	35	24	2.80	43	25	2.12	58	20	3.84
27	तेलंगाना	25	12	1.74	29	10	1.55	24	10	1.88	28	11	1.07	39	13	2.34
28	त्रिपुरा	1	4	0.19	1	4	0.26	1	4	0.22	1	6	0.21	1	6	0.24
29	उत्तर प्रदेश	99	103	9.16	143	80	7.28	163	80	10.31	212	113	10.56	324	130	20.52
30	उत्तराखंड	4	2	0.29	5	3	0.29	6	3	0.43	10	4	0.44	15	6	0.83
31	पश्चिम बंगाल	31	44	4.19	44	46	3.08	49	46	4.19	65	49	3.50	109	50	7.75
	कुल	596	596	56.60	709	524	43.23	813	525	58.20	991	579	51.41	1381	628	89.42
